अध्याय - 4
लाइसेंस का निर्गमन, नवीनीकरण एवं निरस्तीकरण

अध्याय - 4

लाइसेंस का निर्गमन, नवीनीकरण एवं निरस्तीकरण

लर्नर्स लाइसेंस (एल एल), ड्राइविंग लाइसेंस (डी एल), कंडक्टर लाइसेंस (सी एल) और मोटर यान प्रशिक्षण संस्थान (एम डी टी एस) को लाइसेंस निर्गत किए जाने संबंधी प्रकरणों की लेखापरीक्षा में जाँच की गई और अवलोकित किए गए तथ्यों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

अध्याय का संक्षिप्त विवरण:

- सारथी डाटा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 144 व्यक्तियों को 288 डी एल निर्गत किए गए थे, जो दर्शाता है कि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक डी एल थे। ये डी एल या तो राज्य के आर टी ओ/ए आर टी ओ द्वारा निर्गत किए गए थे अथवा कुछ प्रकरणों में एक डी एल उत्तराखण्ड राज्य से तथा दूसरा अन्य राज्य से निर्गत किया गया था।
- विभाग द्वारा निर्गत किए जा रहे डी एल का प्रारूप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एम ओ आर टी एच) द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुरूप नहीं था, क्योंकि इसमें अंग दाता, अवैध वाहन, पर्वतीय वैधता एवं आपातकालीन संपर्क नंबर के विषय में सूचना सम्मिलित नहीं थी।
- तीन नमूना जाँच इकाइयों द्वारा आवेदकों को डाक के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस प्रेषित नहीं किए गए थे, जिस कारण आवेदकों को उन्हें प्राप्त करने हेतु भौतिक रूप से परिवहन कार्यालय आना पड़ा। आर टी ओ, देहरादून द्वारा इस विषय पर सूचना नहीं दी गई।
- आर टी ओ, देहरादून के कार्यालय के अतिरिक्त राज्य में तीन नमूना जाँच इकाइयों में ड्राइविंग परीक्षण हेतु स्वचालित ड्राइविंग परीक्षण ट्रैक नहीं थे।
- चार नमूना चयनित जाँच की गयी इकाइयों के आँकड़ों से ज्ञात हुआ कि 2019-24 की अवधि के दौरान एक ही दिन में असामान्य रूप से अधिक संख्या में परीक्षण (628 परीक्षण तक) किए गए थे।
- लेखापरीक्षा अवधि 2019-24 के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा मोटर वाहन प्रशिक्षण संस्थानों का नियमित आवधिक निरीक्षण नहीं किया गया था।
- 2019-24 की अवधि के दौरान, उत्तराखण्ड के बाहर से प्रवेश करने वाले ड्राईवर पर्वतीय पृष्ठांकन हेतु आवेदन कर रहे थे और निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर रहे थे तथा दक्षता परीक्षण अथवा प्रमाण पत्रों की जाँच किए बिना ही पर्वतीय पृष्ठांकन प्रदान किया जा रहा था। इस प्रकार, पर्वतीय पृष्ठांकन प्रदान करने की प्रक्रिया केवल राजस्व अर्जित करने तक ही सीमित थी।

4.1 व्यक्ति को एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जाना

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 6 में किसी व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस (डी एल) रखने पर प्रतिबंधों का प्रावधान है और वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति विशिष्ट प्रकरणों[1] को छोड़कर एक से अधिक डी एल नहीं रख सकता है।

सारथी डाटा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 144 व्यक्तियों को 288 डी एल निर्गत किए गए थे, जो दर्शाता है कि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक डी एल था। ये डी एल या तो राज्य के आर टी ओ/ए आर टी ओ से या कुछ प्रकरणों में एक डी एल उत्तराखण्ड राज्य[2] से और दूसरा अन्य राज्य[3] से निर्गत किए गए थे। इन 144 व्यक्तियों को कम से कम एक डी एल (उत्तराखण्ड में निर्गत कुल 275 डी एल में से) निर्गत करने वाले आर टी ओ/ए आर टी ओ का विवरण **चार्ट-4.1** में दिया गया है:

चार्ट-4.1: व्यक्ति को एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जाना

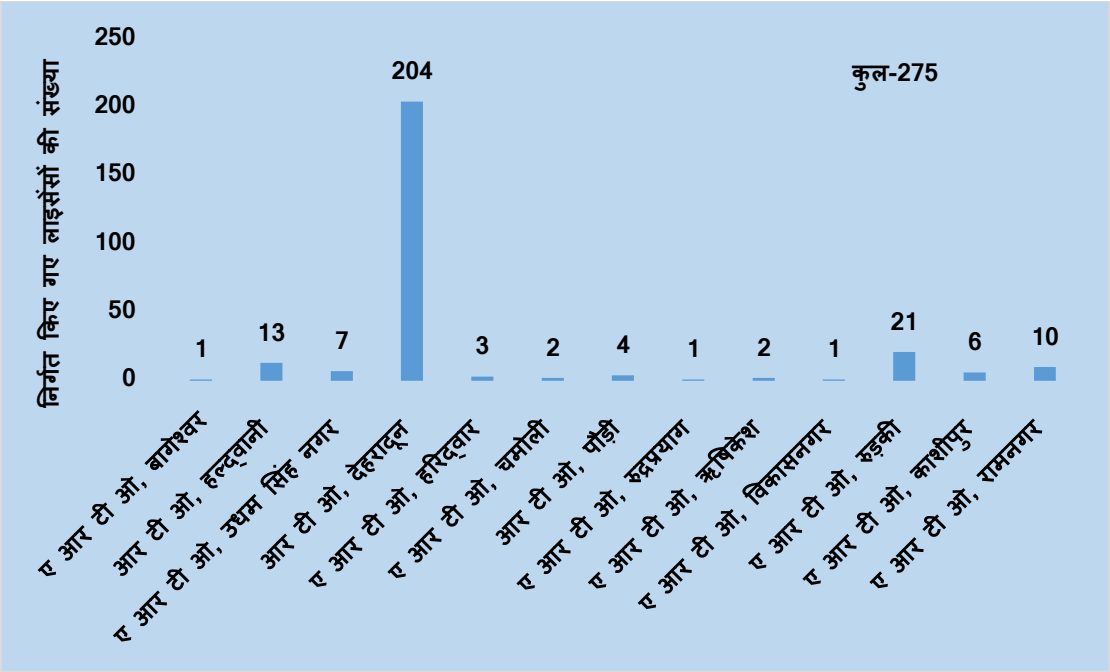

स्रोत: सारथी डाटाबेस।

राज्य के कुल 275 लाइसेंसों में से 212 लाइसेंस चार नमूना जाँच इकाइयों में से तीन[4] के थे। आर टी ओ, अल्मोड़ा में ऐसा कोई प्रकरण नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा द्वारा

---

1 केंद्र सरकार (रक्षा सेवाओं) से संबंधित मोटर यान चलाने हेतु ड्राइविंग लाइसेंस।

2 262 लाइसेंस।

3 26 लाइसेंस।

4 आर टी ओ, देहरादून; ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर; एवं ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग।

तीन नमूना जाँच इकाइयों में 35 नमूना जाँच[5] प्रकरणों में निर्गत किए गए डी एल से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया कि इन सभी 35 प्रकरणों में व्यक्तियों के पास एक से अधिक डी एल थे।

राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) अवगत कराया गया कि संबंधित लाइसेंस धारकों को नोटिस जारी किए जाएंगे और लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

अनुशंसा-4:

विभाग द्वारा सारथी एप्लिकेशन में सत्यापन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सकता है जिससे यह सुनिश्चित हो कि एक व्यक्ति को एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत न हों।

4.2 ड्राइविंग लाइसेंस निर्धारित प्रारूप में निर्गत न किया जाना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्गत किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस के कार्ड के प्रारूप को अधिसूचित[6] किया गया है। डी एल के लिए निर्धारित प्रारूप के अग्र एवं पश्च भाग का प्रारूप नीचे **चित्र-4.1** में दर्शाया गया है:

चित्र-4.1: डी एल के लिए निर्धारित प्रारूप के अग्र एवं पश्च भाग का प्रारूप

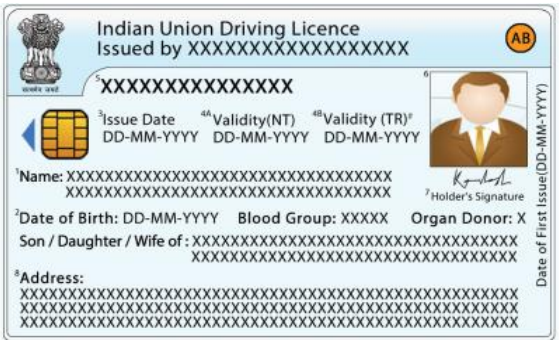

ड्राइविंग लाइसेंस के कार्ड का अग्र भाग

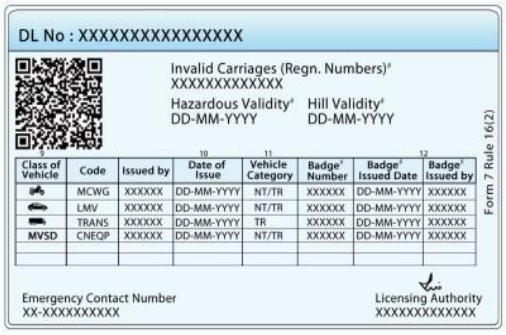

ड्राइविंग लाइसेंस के कार्ड का पश्च भाग

प्रारूप में कुछ अतिरिक्त सूचनाएँ होती हैं, जैसे कि लाइसेंस धारक अंग दाता है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त, प्रारूप में अवैध वाहन, हजार्डअस वैधता, पर्वतीय वैधता और आपातकालीन संपर्क नंबर के लिए पृष्ठांकन स्थान भी होता है। यह पाया गया कि ड्राइविंग लाइसेंस एक प्लास्टिक कार्ड में निर्गत किए जा रहे थे, जिसमें अधिसूचना में निर्धारित कोई भी सूचना धारित नहीं है।

---

[5] आर टी ओ, देहरादून-30; ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर-04 एवं ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग-01।

[6] अधिसूचना जी एस आर 174 (ई) दिनांक 01 मार्च 2019, (01 अक्टूबर 2019 से प्रभावी)।

राज्य सरकार द्वारा तथ्य को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) अवगत कराया गया कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी परिवर्तन सामान्यतः एन आई सी द्वारा स्वतः ही अद्यतन कर दिया जाता है। हालाँकि, वर्तमान प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। शीघ्र ही अधिसूचना के अनुसार आवश्यक प्रविष्टियाँ निर्धारित प्रारूप में की जाएंगी।

4.3 डाक के माध्यम से आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस प्रेषित न किया जाना

यू के एम वी आर, 2011 के नियम 12 सी (चतुर्थ संशोधन दिनांक 16 दिसंबर 2016) में प्रावधानित है कि आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाए एवं इस हेतु आवेदक को पंजीकृत डाक के लिए निर्धारित डाक टिकट के साथ अपना स्व-पता लिफाफा जमा करना होगा।

2019-24 की अवधि में ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत एवं प्रेषित किए जाने के संबंध में चार नमूना जाँच इकाइयों में से, केवल तीन नमूना जाँच इकाइयों[7] द्वारा सूचना प्रदान की गई। उत्तर के अनुसार, 2019-24 की अवधि में कुल 85,122 ड्राइविंग लाइसेंस[8] निर्गत किए गए थे, जिनमें से कोई भी स्व-पता (डाक टिकट लगे हुए) लिफाफों के संग्रह न किए जाने के कारण डाक के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस प्रेषित नहीं किए गए। आर टी ओ, देहरादून द्वारा इस विषय पर सूचना प्रदान नहीं की गई। चूंकि कार्यालयों द्वारा आवेदकों को डाक के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस प्रेषित नहीं किए गए, अतः आवेदकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस कार्यालय से भौतिक रूप से प्राप्त करने पड़े।

राज्य सरकार द्वारा तथ्य को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) अवगत कराया गया कि यू के एम वी आर, 2011 के नियम 12 (सी) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान (25 जुलाई 2025), यह सूचित किया गया कि विभाग कूरियर सेवा के माध्यम से आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस प्रेषित किए जाने हेतु एक प्रणाली लागू करने की योजना बना रहा है, जैसी प्रथा कुछ अन्य राज्यों द्वारा अपनाई जा रही है।

---

[7] आर टी ओ, अल्मोड़ा; ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर; एवं ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग।

[8] आर टी ओ, अल्मोड़ा-26,356; ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर-44,826; एवं ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग-13,940।

4.4 ड्राइविंग परीक्षण आयोजित करने हेतु अपर्याप्त अवसंरचना

सी एम वी आर, 1989 के नियम 15 में ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने हेतु कौशल परीक्षण[9] निर्धारित हैं। आवेदक के ड्राइविंग कौशल का परीक्षण करने हेतु एक सुस्थापित अवसंरचना की आवश्यकता होती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह वाहन को सुचारू रूप से चालू करने में सक्षम है, रिवर्स पार्किंग कर सकता है, गियर के उचित शिफ्टिंग से परिचित है, ट्रैफिक सिग्नल को समझता है, राऊडं टर्न और चढ़ाई/ढलान वाले क्षेत्र में वाहन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह संज्ञान में आया कि राज्य में आर टी ओ/ए आर टी ओ के कार्यालय मैनुअल मोड के माध्यम से ड्राइविंग कौशल परीक्षण आयोजित कर रहे थे जबकि आर टी ओ, देहरादून द्वारा स्वचालित ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक (ए डी टी टी) के माध्यम से ड्राइविंग कौशल परीक्षण आयोजित किये जा रहे है। विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 31 मार्च 2024 तक विभाग के 10 कार्यालयों[10] के अंतर्गत ए डी टी टी का निर्माण कार्य प्रगति पर था।

नमूना जाँच इकाइयों में संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह ज्ञात हुआ कि मैनुअल मोड में ड्राइविंग परीक्षण करने वाले तीन कार्यालयों में ड्राइविंग परीक्षण आयोजित करने हेतु आवश्यक अवसंरचनाएँ एवं सुविधाएँ नहीं थीं जैसा कि नीचे **तालिका-4.1** में दिया गया है:

तालिका-4.1: ड्राइविंग परीक्षण आयोजित करने हेतु आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता

कार्यालय का नाम	अवसंरचना की उपलब्धता					
	संपूर्ण ट्रैक संरचना	राऊडं टर्न के लिए पर्याप्त जगह	चढ़ाई और ढलान पर नियंत्रण के परीक्षण की सुविधा	रिवर्स पार्किंग की सुविधा	ट्रैफिक सिग्नल की जाँच और ओवरटेकिंग की सुविधा	वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा
आर टी ओ, अल्मोड़ा	नहीं। परीक्षण कार्यालय के संपर्क मार्ग में आयोजित किए जाते हैं	आंशिक रूप से. संपर्क मार्ग मैदान से जुड़ा है, कठोर सतह नहीं है।	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं

[9] रियर-व्यू मिरर व्यवस्थित कर सके; एक कोण पर सुरक्षित रूप से और आसानी से सीधे आगे बढ़ें, शीर्ष गियर तक पहुंचने तक सभी गियर लगा सके; यातायात की स्थिति में बदलाव की दशा में शीर्ष गियर से निचले गियर में बदल सके; ढलान में वाहन चलाते समय निचले गियर में जल्दी से बदल सके आदि।

[10] आर टी ओ, अल्मोड़ा; ए आर टी ओ, ऋषिकेश; ए आर टी ओ, हरिद्वार; ए आर टी ओ, रुड़की; ए आर टी ओ, उत्तरकाशी; ए आर टी ओ, कोटद्वार; आर टी ओ, हल्द्वानी; ए आर टी ओ, रामनगर; ए आर टी ओ, काशीपुर; एवं ए आर टी ओ, पिथौरागढ़।

कार्यालय का नाम	अवसंरचना की उपलब्धता					
	संपूर्ण ट्रैक संरचना	राऊडं टर्न के लिए पर्याप्त जगह	चढ़ाई और ढलान पर नियंत्रण के परीक्षण की सुविधा	रिवर्स पार्किंग की सुविधा	ट्रैफिक सिग्नल की जाँच और ओवरटेकिंग की सुविधा	वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा
ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर	नहीं। परीक्षण कार्यालय से सटे पक्के मैदान में आयोजित किए जाते हैं।	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग	नहीं। परीक्षण राष्ट्रीय राजमार्ग (एन एच 07) पर आयोजित किए जाते हैं।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान (25 जुलाई 2025) यह अवगत कराया गया कि विभाग के विभिन्न कार्यालयों में ए डी टी टी निर्माणाधीन हैं तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक विभिन्न कार्यालयों में 12 ए डी टी टी क्रियाशील हो जाएंगे।

4.5 एक दिन में अधिक संख्या में ड्राइविंग परीक्षण किया जाना

सी एम वी आर, 1989 के नियम 15 में प्रावधानित है कि वाहन ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किए जाने से पूर्व आवेदक की वाहन के कौशल एवं ज्ञान के परीक्षण हेतु ड्राइविंग परीक्षण आयोजित किया जाना आवश्यक है।

तीन नमूना जाँच[11] इकाइयों द्वारा प्रदान की गई सूचना से ज्ञात हुआ कि ड्राइविंग परीक्षण आयोजित करने हेतु कोई मानक समय निर्धारित नहीं है। तथापि, यदि पूरी प्रक्रिया पर विचार किया जाए, तो एक परीक्षण आयोजित करने हेतु औसतन 10 से 12 मिनट का समय आवश्यक है।

राज्य सरकार के विभाग के आधिकारिक कार्य के समय को ध्यान में रखते हुए, कार्यसमय एक दिन में छः घंटे और 30 मिनट[12] होता है। यदि कोई संभागीय निरीक्षक (आर आई) (प्राविधिक) लगातार ड्राइविंग कौशल का परीक्षण करता है, तो एक दिन में अधिकतम 39 परीक्षण[13] किए जा सकते हैं। लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा सूचित किया गया कि संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा वाहनों के फिटनेस परीक्षण से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। तीन नमूना जाँच इकाईयों[14], जिनमें ए डी टी टी नहीं है, के डाटा से ज्ञात हुआ कि 2019-24 की अवधि के दौरान एक ही दिन में असामान्य संख्या में परीक्षण (628 परीक्षण तक) किए गए। आयोजित किए गए ड्राइविंग परीक्षणों की रेंज नीचे **चार्ट-4.2** में दी गई है:

---

11 आर टी ओ, अल्मोड़ा; ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर; एवं ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग।

12 कार्यालय समय सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक 30 मिनट के भोजन अवकाश के साथ।

13 वाहन के प्रवेश से लेकर परीक्षण क्षेत्र से बाहर निकलने तक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 10 मिनट के मानक समय को ध्यान में रखते हुए, एक घंटे में मात्र छः परीक्षण आयोजित किए जा सकते हैं, अतः 6.5*6=39।

14 चतुर्थ नमूना जाँच इकाई, कार्यालय, आर टी ओ, देहरादून द्वारा ए डी टी टी में ड्राइविंग परीक्षण आयोजित किए जाते हैं, जिसमें तीन ट्रेक है, एच एम वी, एल एम वी और दोपहिया वाहनों प्रत्येक के लिए एक ट्रैक है। इसलिए, एक निश्चित समय में एक साथ तीन परीक्षण आयोजित किए जा सकते हैं।

चार्ट-4.2 नमूना जाँच इकाइयों द्वारा किए गए ड्राइविंग कौशल परीक्षण की रेंज (2019-24)

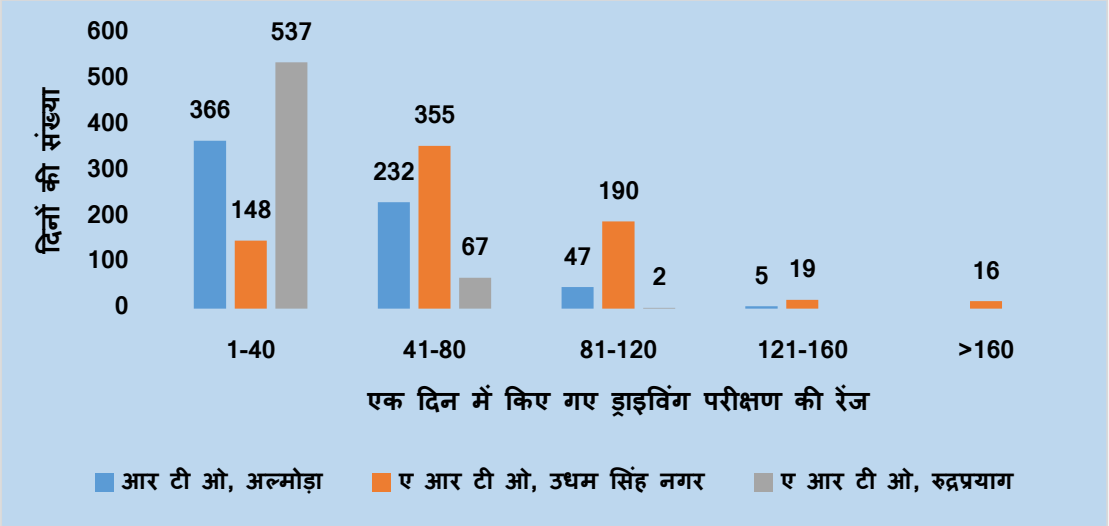

स्रोत: सारथी डाटाबेस।

इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) अवगत कराया गया कि कभी-कभी सर्वर या इंटरनेट में समस्याओं के कारण, कंप्यूटर में प्रविष्टियाँ अगले दिन की जाती हैं, जिस कारण एक दिन में किए गए परीक्षणों की अधिक संख्या प्रदर्शित होती है। इसके अतिरिक्त, कुछ कार्यालयों में, संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), जनता की सुविधा हेतु, नियमित समयावधि से अतिरिक्त कार्य करता है, जिस कारण एक दिन में किए जाने वाले ड्राइविंग परीक्षणों की उच्च संख्या परिलक्षित होती है।

4.6 सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों का नियमित निरीक्षण न किया जाना

सी एम वी आर, 1989 के नियम 27 और 28 लाइसेंस प्राधिकारी को मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण करने तथा आवश्यकताओं का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में लाइसेंस को निलंबित अथवा निरस्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, यू के एम वी आर, 2011 के नियम 19 (बी) (ग्यारह)[15] में वर्णित है कि मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान (एम डी टी एस) का निरीक्षण लाइसेंस प्राधिकारी[16] द्वारा वर्ष में एक बार, संबंधित आर टी ओ द्वारा वर्ष में दो बार एवं ए आर टी ओ

[15] राजपत्र अधिसूचना 2016 के माध्यम से संशोधित।

[16] उप परिवहन आयुक्त / सहायक परिवहन आयुक्त लेखापरीक्षा अवधि 2019-24 के दौरान एम डी टी एस को लाइसेंस प्रदान करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे।

(प्रशासन) द्वारा वर्ष में चार बार किया जाएगा और इस निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

नमूना जाँच इकाइयों[17] के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि लेखापरीक्षा अवधि 2019-24 की अवधि में किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा एम डी टी एस का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा था। आगे, यह पाया गया कि 2019-24 की अवधि में दो नमूना जाँच इकाइयों[18] में मात्र दो निरीक्षण किए गए थे, जिनका विवरण ***परिशिष्ट-4.1*** में दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) अवगत कराया गया कि संभागीय एवं उप-संभागीय परिवहन कार्यालयों को अपने-अपने प्राधिकार क्षेत्र के एम डी टी एस का निरीक्षण करने हेतु निर्देश निर्गत किए गए हैं।

केस स्टडी: सी एम वी आर, 1989 का नियम 24 (3) (iv) यह निर्धारित करता है कि एम डी टी एस के लिए आवेदनकर्ता प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रत्येक प्रकार के न्यूनतम एक मोटर वाहन का स्वामी हो और उसका अनुरक्षण करता हो। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सूर्या मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून को वाहन यूपी07जी0139 द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति (24 मार्च 2023) दी गई थी। उक्त वाहन एम डी टी एस के नाम पर पंजीकृत नहीं था, बल्कि एम डी टी एस के पूर्व स्वामी के नाम पर पंजीकृत था, जिनका निधन 22 अप्रैल 2022 को हो गया था। एम डी टी एस को लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व, प्रशिक्षण प्रदान करने वाले वाहनों के पंजीकरण से संबंधित तथ्यों की जाँच नहीं की गई तथा नियमित निरीक्षण किए जाने की विफलता के परिणामस्वरूप बाद में यह तथ्य संज्ञान में नहीं आ सका।

4.7 मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान द्वारा शासकीय वाहनों का उपयोग

सी एम वी आर 1989 के नियम 24 (3) (iv) और (v) में वर्णित है कि एम डी टी एस के लिए आवेदनकर्ता प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रत्येक प्रकार के न्यूनतम एक मोटर यान का स्वामी हो तथा उसका अनुरक्षण करता हो। वाहन विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध हों तथा मोटरसाइकिलों को छोड़कर ऐसे सभी वाहनों

[17] आर टी ओ, देहरादून; आर टी ओ, अल्मोड़ा; ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर; एवं ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग।

[18] ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर एवं ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग।

में दोहरी नियंत्रण सुविधा लगी हुई हो। इसके अतिरिक्त, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रैफिक एंड रिसर्च (आई डी टी आर) की स्थापना के प्रस्ताव के लिए योजना/दिशानिर्देश (दिसंबर 2021) निर्गत किए थे, जिसमें केंद्र, राज्य सरकार और निजी भागीदार के उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 1.6.3 में निर्धारित किया गया है कि निजी भागीदार आई डी टी आर में वाहनों, प्रशिक्षण समुच्चय और शिक्षण सहायक सामग्री प्रायोजित करेगा।

कार्यालय, परिवहन आयुक्त की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रैफिक रिसर्च (आई डी टी आर), झाझरा, देहरादून को एम डी टी एस के रूप में लाइसेंस प्रदान किया गया है। यह पाया गया कि परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के नाम पर पंजीकृत चार शासकीय वाहनों[19] को प्रशिक्षण के उद्देश्य से आई डी टी आर को दिया गया है जो सी एम वी आर, 1989 के नियम 24 (iv) के विपरीत था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान (25 जुलाई 2025), यह अवगत कराया गया कि चूंकि आई डी टी आर पी पी पी मोड के अंतर्गत संचालित होता है, अतः एम डी टी एस को शासकीय वाहन प्रदान किए गए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में यह निर्दिष्ट किया गया था कि निजी भागीदार वाहनों को प्रायोजित करेगा। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा इसे प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए कि एम डी टी एस हेतु वाहनों की व्यवस्था करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व था।

4.8 मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वैधता के नवीनीकरण हेतु विलंब से आवेदन किया जाना

सी एम वी आर, 1989 के नियम 25 यह निर्दिष्ट करता है कि एम डी टी एस को दिया गया लाइसेंस पाँच वर्षों के लिए वैध है तथा आवेदक लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है, जो वैधता की समाप्ति की तिथि से कम से कम 60 दिन पूर्व हो।

कार्यालय, परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने 2019-24 के दौरान एम डी टी एस को लाइसेंस दिये जाने/नवीनीकरण के 40 प्रकरणों से संबंधित पत्रावलियों की माँग की गई। हालाँकि, 32 फाइलें (21 नई अनुमति एवं 11 नवीनीकरण) लेखापरीक्षा को प्रदान की गई। यह पाया गया कि 11 प्रकरणों में से

[19] यूके07xxxx89, यूके07xxxx85, यूके07xxxx14 एवं यूके07xxxx15।

सात (64 *प्रतिशत*) में एम डी टी एस के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नहीं किया गया था और दो प्रकरणों में, लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु किए आवेदन की तिथि सुनिश्चित नहीं की जा सकी। सात प्रकरणों में से, पाँच प्रकरणों में नवीनीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस वैधता की समाप्ति की तिथि से 15 से 33 दिन पूर्व किए गए थे, एक प्रकरण में नवीनीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस की समाप्ति की तिथि को किया गया था एवं एक प्रकरण में आवेदन लाइसेंस की समाप्ति के एक माह के पश्चात किया गया था। विवरण ***परिशिष्ट -4.2*** में उल्लिखित हैं।

निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत एम डी टी एस के लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु किसी निगरानी तंत्र और दंड प्रक्रिया के अभाव में, निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर (अगस्त 2025) द्वारा अवगत कराया कि नवीनीकरण सी एम वी आर, 1989 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार के पास सी एम वी आर, 1989 के नियम 24 (iv) और (v) में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, अतः राज्य सरकार के लिए विलंब शुल्क का प्रावधान करना संभव नहीं है।

4.9 दक्षता परीक्षण किए बिना ही अन्य राज्यों के ड्राइवरों को पर्वतीय पृष्ठांकन प्रदान किया जाना

यू के एम वी आर, 2011 के नियम 195 में पंजीकरण प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में स्थित पर्वतीय मार्गों पर सार्वजनिक और माल वाहन चलाने की अनुमति देने हेतु लाइसेंस में पर्वतीय पृष्ठांकन प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक परिवहन वाहन का कोई भी ड्राईवर राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में तब तक वाहन नहीं चला सकता है जब तक कि ड्राईवर के पास पर्वतीय पृष्ठांकन न हो। पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन ड्राइव करने हेतु चढ़ाई/ढलान में आसानी से तथा तीव्र मोड़ों पर वाहन चलाने की क्षमता की आवश्यकता होती है जिससे वाहन के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया कि पर्वतीय पृष्ठांकन प्रदान करने के लिए पर्वतीय क्षेत्र में ड्राईवर की वाहन कुशलतापूर्वक चलाने की क्षमता की जाँच करने के संबंध में कोई निर्धारित नीति/प्रक्रिया नहीं थी। यह भी देखा गया कि 2019-24 की अवधि के दौरान, उत्तराखण्ड

के बाहर से आने वाले ड्राईवर पर्वतीय पृष्ठांकन हेतु आवेदन कर रहे थे तथा निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर रहे थे और पर्वतीय पृष्ठांकन को बिना किसी दक्षता परीक्षण या दस्तावेजों की जाँच के प्रदान किया जा रहा था। अतः, पर्वतीय पृष्ठांकन प्रदान करने की प्रक्रिया केवल राजस्व अर्जित करने तक ही सीमित थी। इसके अतिरिक्त, किसी भी नीति के अभाव में ऐसे पर्वतीय पृष्ठांकन की आवृत्ति/वैधता ज्ञात नहीं है। इसके अतिरिक्त, पर्वतीय पृष्ठांकन, की स्थिति भी डी एल या सारथी पोर्टल में प्रदर्शित नहीं होती है तथा इसकी जाँच भौतिक रूप से ही की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) अवगत कराया गया कि यू के एम वी आर, 2011 के नियम 195 को संशोधित करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है। यह भी अवगत कराया कि चार धाम यात्रा-2025 के लिए वाहनों को पर्वतीय पृष्ठांकन प्रदान किए जाने हेतु भौतिक रूप से परीक्षण आयोजित किया जा रहा है।

अनुशंसा-5:

पर्वतीय पृष्ठांकन प्रदान करने के संबंध में प्रावधानों की समीक्षा की जा सकती है और एक स्पष्ट नीति तैयार की जा सकती है, जिसमें ऐसे पृष्ठांकनों के लिए प्रक्रिया और वैधता अवधि को रेखांकित किया जाए।

4.10 विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों को निर्गत किए जाने के प्रकरणों में पायी गई विसंगतियाँ

लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, चार नमूना जाँच इकाइयों द्वारा 2019-24 की अवधि के दौरान 2,13,976 लर्निंग लाइसेंस (एल एल), 1,35,531 ड्राइविंग लाइसेंस (डी एल) एवं 473 कंडक्टर लाइसेंस (सी एल) निर्गत किए गए। लेखापरीक्षा द्वारा सारथी पोर्टल पर उपलब्ध एल एल, डी एल और सी एल के आवेदनों में से प्रत्येक के 30 नमूना जाँच प्रकरण जाँचे गए और वे प्रकरण जहां आवश्यक अभिलेख जमा किए बिना लाइसेंस निर्गत किए गए थे, नीचे दिए गए हैं:

- **लर्नर लाइसेंस** - सी एम वी आर, 1989 के नियम 5 में परिवहन वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहन चलाने हेतु लर्नर लाइसेंस (एल एल) अथवा ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किए जाने हेतु शारीरिक फिटनेस के लिए स्व-घोषणा (फॉर्म 1) जमा किए जाने का प्रावधान है। यह पाया गया कि चार नमूना जाँच इकाइयों के 120 चयनित

एल एल[20] में से, दो नमूना चयनित इकाइयों के 20 एल एल[21] या तो स्व-घोषणा फॉर्म जमा किए बिना (10 प्रकरणों में) अथवा आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित स्व-घोषणा फॉर्म (10 प्रकरणों में) जमा किए बिना ही निर्गत किए गए थे।

- **कंडक्टर लाइसेंस**- मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 30 (3) में सी एल प्रदान करने हेतु पंजीकृत चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, यू के एम वी आर, 2011 के नियम 21 (चतुर्थ संशोधन दिनांक 16 दिसंबर 2016) में यह परिकल्पना की गई है कि आवेदक के पास रेड क्रॉस सोसाइटी या अधिकृत चिकित्सक से प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि चार नमूना चयनित इकाइयों के 115 चयनित सी एल[22] में से, 66 प्रकरणों[23] में चिकित्सा प्रमाण पत्र और आठ प्रकरणों[24] में प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अभिलखों में संलग्न नहीं किये गये थे।

राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया (अगस्त 2025) कि प्रकरणों का सत्यापन किया जाएगा।

---

[20] आर टी ओ, देहरादून- 30; आर टी ओ, अल्मोड़ा- 30; ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर- 30; एवं ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग- 30।

[21] आर टी ओ, देहरादून- 07 एवं ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर- 13।

[22] आर टी ओ, देहरादून- 30; आर टी ओ, अल्मोड़ा- 30; ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर- 30; एवं ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग- 25।

[23] आर टी ओ, देहरादून- 05; आर टी ओ, अल्मोड़ा- 23; ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर- 18; एवं ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग- 20।

[24] आर टी ओ, अल्मोड़ा- 04; ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर- 03; एवं ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग-01।